संख्या 312 /3(150)/XXVII(1)/2017

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2.समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग – 1 **देहरादून, दिनांक 31 मार्च, 2017**

विषयः–वित्तीय वर्ष 2017–18 के लेखानुदानों की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किया जाना।

महोदय,

कृपया वित्तीय वर्ष 2017–18 के एक हिस्से हेतु लेखानुदान की धनराशि मा0 विधानसभा द्वारा स्वीकृत की गई है। इस क्रम में श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन लेखानुदान की धनराशि समस्त सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग/बजट नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. विदित है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में आयोजनागत(Plan) तथा आयोजनेत्तर (Non-Plan) का अन्तर समाप्त कर दिया गया है। साथ ही शासन के व्यय में मित–व्ययता नितान्त आवश्यक है। मित–व्ययता सुनिश्चित करना केवल वित्त विभाग का ही दायित्व नहीं है वरन समस्त प्र0वि0 का भी दायित्व है। धनराशि अवमुक्त करने सम्बन्धी प्रत्येक आदेश, चाहे वह सम्बन्धित वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग की सहमति से निर्गत किया जाये अथवा सीधे प्रशासनिक विभागों अथवा अन्य प्राधिकारियों द्वारा, को तभी निर्गत किया जायेगा जब इस हेतु इन्टरनेट के माध्यम से **वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–183/ XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012** तथा तद्क्रम में समय–समय पर निर्गत अन्य आदेशों के अधीन साफ्टवेयर से केन्द्रीय स्तर पर एक विशिष्ट नम्बर प्राप्त करा लिया जाये। **बिना इस विशिष्ट नम्बर के किसी भी आदेश के आधार पर कोई आहरण एवं व्यय नहीं किया जायेगा।** विभागाध्यक्ष स्तर पर बजट का आवंटन विभाग में कार्यरत वरिष्ठतम वित्त अधिकारी द्वारा आहरण–वितरण अधिकारी को किया जायेगा। इस

सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत उक्त शासनादेश की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

3. सभी प्रशासकीय विभागों द्वारा सर्व प्रथम लेखानुदान में प्राविधानित **राज्य आकस्मिकता निधि** से आहरित धनराशि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। प्रतिपूर्ति ऑनलाइन माध्यम से उसी लेखाशीर्षक/मद से सुनिश्चित की जायेगी, जिससे राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि आहरित की गयी है। आहरित धनराशि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित किये जाने से पूर्व उस लेखाशीर्षक से अन्य कोई धनराशि निर्गत नहीं की जायेगी। **राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित धनराशि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव तथा विभागाध्यक्ष का होगा।** प्रायः यह संज्ञान में आया है कि विभागों द्वारा सामान्य प्रकृति के प्रकरणों हेतु भी राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि आहरित किये जाने के प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रस्तुत किये जा रहे हैं। जबकि **"राज्य आकस्मिकता निधि नियमावली"** के प्रावधानानुसार आकस्मिकता निधि से अग्रिम धन केवल **अप्रत्याशित व्यय** (Unforeseen Expenditure) हेतु ही स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था है। अतः प्र0वि0 अतिमहत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य विषयों पर ही राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि आहरित किये जाने के प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित करें। सामान्य प्रकृति के प्रकरणों पर नियमित बजट की सीमा के अन्दर ही धनराशि स्वीकृत की जाए।

4. भारत सरकार के द्वारा आयोजनागत (Plan) तथा आयोजनेत्तर (Non Plan) की व्यवस्था समाप्त कर राजस्व (Revenue) तथा पूंजी की व्यवस्था अपनायी गई है। राज्य सरकार द्वारा भी लेखानुदान राजस्व तथा पूंजी के अन्तर्गत ही प्रस्तुत किया गया है।

5. महालेखाकार द्वारा समय समय पर यह आपत्ति उठायी गई है कि कई प्रशासकीय विभागों द्वारा Expenditure तथा Receipt माइनर हेड–800 के अन्तर्गत दर्शाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रशासकीय विभागों द्वारा New Minor Head खोलने हेतु वित्त विभाग से अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में विभिन्न विभागों के Minor Head –800 के स्थान पर नये Minor Head खोले गये हैं।

6. **चालू निर्माण कार्यों** हेतु वित्तीय स्वीकृति प्र0वि0 द्वारा कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का परीक्षण करते हुए अपने स्तर से जारी की जायेगी, धनावंटन कार्यदायी संस्था के साथ सम्पादित एम0ओ0यू0 में वर्णित समय सारणी के आधार पर किया जाये।

7. **समस्त नये कार्यों** हेतु वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जायेंगे। इस सम्बन्ध में बहुधा यह देखा गया है कि नये निर्माण कार्यो की स्वीकृति के समय लागत एवं समय वृद्धि (Cost and Time Over run) से बचने के लिए बजट मैनुअल के प्रस्तर–182(VI) (2) एवं (3) की अनुपालना नहीं की जाती है जिसके कारण बजट व्यवस्था के सापेक्ष बड़ी मात्रा में कार्य निर्माणाधीन रहते हैं, क्योंकि प्रारम्भ में कार्य विशेष हेतु न्यून अथवा प्रतीक (Token) धनराशि आधार पर कार्य की स्वीकृति दे दी जाती है और तदोपरान्त अगली किश्तों में भी अति न्यून धनराशि अवमुक्त की जाती है। परिणाम स्वरूप कार्य लम्बे समय तक निर्माणाधीन रहते हैं और उपयोग में नही लाये जा पाते तथा उनमें लागत वृद्धि की स्थिति भी उत्पन्न होती है। अतः पूर्व स्वीकृत प्रत्येक निर्माण कार्य का नियमित एवं सघन अनुश्रवण व समीक्षा की जाय और जो कार्य किन्हीं कारणोंवश प्रारम्भ नहीं हुए हैं उनकी स्वीकृति निरस्त करते हुए आवश्यकतानुसार उन कार्यो के सम्बन्ध में नये आगणन के आधार पर बजट उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए स्वीकृति पर नये सिरे से विचार किया जाय। इस सम्बन्ध में संलग्न प्रपत्र–1, 2 एवं 3 पर भवनों के निर्माण से सम्बन्धित संकलित सूचना भी वित्त अनुभाग–1 एवं सम्बन्धित वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग को उपलब्ध करा दी जाए एवं साथ ही नये निर्माण कार्यो की स्वीकृति के प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय भी इन सूचनाओं को बी0एम0–80 अन्तर्गत वित्त विभाग की सहमति व उच्च अनुमोदन के साथ प्रस्तुत किया जाय। **बजट मैनुअल के प्रस्तर–182(6)** प्रावधानानुसार नये निर्माण कार्यो/परियोजनाओं का पर्याप्त और समय पर वित्त पोषण सुनिश्चित करने के लिये विभागों को **अनुमानित लागत का न्यूनतम 40 प्रतिशत प्रथम किश्त में, 40 प्रतिशत द्वितीय किश्त में एवं शेष तृतीय किश्त** में प्रदान किये जाने की व्यवस्था है, लेकिन विभागों द्वारा इस नियम का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। **अतः प्र0वि0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–182(6) प्रावधानानुसार नये निर्माण कार्यों हेतु धनराशि निर्गत किये जाने के प्रस्ताव तीन चरणों में 40–40–20 प्रतिशत के आधार पर वित्त विभाग को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।**

8. निर्माण कार्यो को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए, जिस हेतु निर्माण की प्राथमिकता और समय सारिणी इस प्रकार तैयार की जाए कि निर्माण हेतु उपयुक्त माहों/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके और पूर्ण होने वाले कार्य शीघ्र पूर्ण होकर उपयोग में लाये जा सकें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करा लिया जायेगा कि प्रत्येक निर्माणाधीन कार्य के सम्बन्ध में **वित्त विभाग के आदेश संख्या–475/XXVII(1)/2008 दिनांक 15.12.2008** के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से

रूप से प्राप्त करते हुऐ **दो चरणों** में निर्गत की जायेगी। 05.00 करोड से अधिक के कार्यों/परियोजनाओं का अनिवार्य रूप से आडिट कराया जायेगा। विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव अपने स्तर से ही आडिट रिपोर्ट महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। **ऐसे मामलों में यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि योजना/निर्माण कार्यो की अनुमोदित कुल लागत की सीमा के अधीन ही धनराशि निर्गत की जाए तथा सक्षम स्तर से अनुमोदित योजना/निर्माण कार्य के अन्तर्गत नियत लक्ष्यों व उद्देश्यों की पूर्ति अनुसार कियान्वयन की प्रगति सुनिश्चित की जाए।**

12. **केन्द्रपोषित योजनाओं** के सम्बन्ध में केन्द्रांश की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने पर तथा वित्त अनु0–01/बजट निदेशालय से पुष्टि कराये जाने के पश्चात् आंवटित बजट की सीमा तक प्रशासकीय विभाग अपने स्तर पर निर्गत कर सकते हैं। राज्यांश की धनराशि से सम्बधित प्रस्ताव योजनान्तर्गत केन्द्रांश के पूर्ण उपयोग के बाद ही वित्त विभाग को प्रस्तुत किये जायेगें। **केन्द्रांश की प्रत्याशा में धनराशि किसी भी स्थिति में निर्गत नहीं की जायेगी तथा केन्द्रपोषित योजनाओं से किसी अन्य योजना में पुनर्विनियोग पूर्णतः वर्जित है।**

13. **वाहय सहायतित योजनाओं** के अन्तर्गत प्र0वि0 यह सुनिश्चित करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में अवमुक्त धनराशि का 80 प्रतिशत प्रतिपूर्ति (Rembursment) भारत सरकार से प्राप्त किया जा चुका है एवं तदोपरान्त बजट की सीमा के अन्तर्गत चालू योजनाओं की धनराशि प्रशासकीय विभाग द्वारा स्वयं अवमुक्त किये जायेंगे। नये निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर वित्त विभाग की सहमति से निर्गत की जायेगी।

14. **एस0पी0ए0** योजना हेतु कुल स्वीकृत धनराशि से अधिक की धनराशि (भारत सरकार व राज्य सरकार) निर्गत नहीं की जायेगी, यदि पूर्व में राज्य द्वारा कुछ धनराशि भारत सरकार से प्राप्ति की प्रत्याशा में निर्गत की गई है और भारत सरकार से धनराशि बाद में प्राप्त हो गई है तो राज्य द्वारा प्रत्याशा में दी गई धनराशि समायोजित कर ली जायेगी और यदि भारत सरकार से धनराशि विलम्ब से प्राप्त हुई है व बजट में प्रावधान न हो पाया हो तो उसके प्रावधान हेतु अगले अनुपूरक बजट में प्रावधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए या अनुदान में उपलब्ध किसी केन्द्र पोषित योजना से पुनर्विनियोग का विचार किया जाए।

15. **एस0पी0ए0(आर0)** के अन्तर्गत बजट प्रावधान आपदा विभाग के अन्तर्गत किया गया है। चूंकि यह एक समयबद्ध संसाधन (Time bound resource) है। अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में भारत सरकार की साईट पर अपलोडेड तथा स्वीकृत परियोजनायें एवं जिस पर भारत सरकार द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है तथा धनराशि अवमुक्त भी कर दी गई

तथा उनके स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों/आहरण–वितरण अधिकारियों को आवंटित बजट का विवरण रखा जायेगा। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रक अधिकारी जिसके नमूना हस्ताक्षर समस्त कोषागारों में परिचालित हों, के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन धनराशियां जारी की जाय, अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा, जिसके लिये सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगें।

19. जैसा कि बजट मैनुअल के प्रस्तर–75 में इंगित किया गया है बजट नियंत्रण अधिकारी या विभागाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो एवं सचिवालय के सम्बन्धित विभाग इस बात को सुनिश्चित करने के उत्तरदायी होगें कि विभागीय सचिवों/प्रमुख सचिवों के स्तर पर वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि किसी मामले में सीमा से अधिक व्यय अथवा विचलन दृष्टिगोचर हो, तो उसे तत्काल वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाय। कोर ट्रेजरी सिस्टम माध्यम से व्यय का अध्यावधिक विवरण बी0एम0–8 पर प्राप्त करते हुये व्यय की नियमित समीक्षा की जाय। बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचनायें समय से भेजा जाना सुनिश्चित करना प्रशासनिक विभाग का उत्तरदायित्व है, जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। **प्रशासनिक/बजट नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष में बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेखा जोखा रखा जाय एवं मासिक आधार पर इसका महालेखाकार से मिलान करते हुए मिलान का प्रमाणित विवरण वित्त अनुभाग–1 तथा बजट निदेशालय को प्रेषित किया जाए।** राजस्व मद से पूंजीगत मद में इसी प्रकार पूंजीगत मद से राजस्व मद में पुनर्विनियोग पूर्णतः प्रतिबन्धित है।

20. प्र0वि0 विभागों द्वारा यदि किसी योजनाओं में धनराशि **पी0एल0ए0** खाते में जमा की गई है तो सर्वप्रथम उक्त धनराशि को आहरित कर व्यय सुनिश्चित किया जायें। तदोपरान्त ही योजनान्तर्गत लेखानुदान में स्वीकृत धनराशि अवमुक्त की जायें।

21. वाहन क्रय हेतु कोई व्यय करने से पूर्व राज्य सरकार की नई वाहन नीति के अन्तर्गत ही सुविचारित निर्णय लिया जाय एवं नये वाहन क्रय करने से पूर्व प्रत्येक प्रकरण पर वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

22. वित्तीय वर्ष 2016–17 की समाप्ति पर समस्त प्रशासनिक विभाग/बजट नियंत्रक अधिकारी अवशेष बजट का समर्पण ऑनलाईन माध्यम से 15 मई 2017 तक सुनिश्चित करेंगे, जिसके अन्तर्गत सम्बन्धित बजट नियंत्रक अधिकारी पहले अपने विभागाध्यक्ष को बजट समर्पण करेंगे तथा तदोपरान्त विभागाध्यक्ष सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव को ऑनलाईन बजट समर्पण सुनिश्चित करेंगे।